न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यारित)

प्रकरण संख्याः 30/2017/अपील/एलआरएक्ट/बांरा

तारीख दायराः 26.4.2017

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. श्रीमती गोपाली बाई पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी देवलाल जाति माली निवासी ग्राम निवारी तहसील शाहबाद जिला बांरा।
2. बहादुर
3. माणक
4. सीयाराम उर्फ भूरा

   पिसरान रामदयाल माता स्व0 सीताबाई पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी रामदयाल जाति माली निवासीगण ग्राम सोभागपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
5. लाडबाई पुत्री रामदयाल पत्नी महेन्द्र जाति माली निवासी ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बांरा।
6. राजेशबाई पुत्री रामदयाल जाति माली निवासी ग्राम सोभागपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलांट्स

बनाम

1. रतनलाल आत्मज स्व0 गजानन्द जाति माली निवासी ग्राम सोभागपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
2. नर्बदा बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम सोभागपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
3. नवरंगीबाई पुत्री स्व0 मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम सोभागपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा

...रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ★ कोटा ★

उपस्थित : श्री श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 कम–4

:::निर्णय:::

दिनांक 07.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–18/2015 अपील बउनवान रतनलाल बनाम नर्बदाबाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की है।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 कम–1 रतनलाल द्वारा ग्राम सुहावन की आराजी ख0 नं0 27 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं ख0 नं0 271 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा एंव ग्राम सोभागपुरा की आराजी ख0 नं0 146 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा एवं ख0 नं0 185 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा की खातेदार कान्हीबाई बेवा गजानंद जाति माली निवासी सोभागपुरा द्वारा की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार (भू0अ0) किशनगंज के न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा निर्णय दिनांक 16.6.2015 को खातेदार कान्ही बेवा गजानन्द के हिस्से की भूमि ग्राम सुहावन व शोभागपुरा जो पैतृक सम्पत्ति है जिसे रतनलाल पुत्र गजानन्द हिस्सा 1/2 मृतक पुत्र मदनलाल के विधिक वारिसान नंदा पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/6, गोपालीबाई पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/6 व मृतक पुत्री सीताबाई के वारिसान पुत्र बहादूर, माणक, सियाराम उर्फ भूरा पुत्रान रामदयाल, लाडबाई, नवरंगीबाई, राजेश बाई पुत्री रामदयाल हिस्सा 1/6 खाते दर्ज करने का आदेश दिया गया जिससे अप्रसन्न होकर रतनलाल ने प्रथम

अति0 सं0 आयु0
कोटा

अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय 16.6.2015 विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रतनलाल द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मान्य प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड वसीयतनामे को ध्यान मे रखते हुये पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार किशनगंज को निर्णय दिनांक 26.7.2016 से प्रकरण रिमांड/प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 26.7.2016 से व्यथित होकर अपीलांट गोपालीबाई वगेरा ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि अपीलांट जो कि मृतक कान्हीबाई के मृतक पुत्र मदनलाल की मृतक पुत्री सीताबाई के वारिसान पुत्र पुत्रियां है जिनके पक्ष मे भी कान्हीबाई के खाते की भूमि दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार किशनंगज द्वारा पारित किया गया था जिसकी पालना मे अपीलांट का नाम भी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो गया था तथा उक्त आदेश सही था। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे रेस्पो0 नं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट उक्त अपील मे आवश्यक एवं उचित पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बिना उक्त अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार के समक्ष उभयपक्षों द्वारा कान्हीबाई के फोती नामान्तरकरण की कार्यवाही को कन्टेस्ट किया गया था विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर धारा 135(2) एलआरएक्ट के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील धारा 75 (1) (एफ) के अन्तर्गत सम्मानीय न्यायालय के श्रवण योग्य थी। अति0 जिला कलक्टर शाहबाद को धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील का श्रवणाधिकार प्राप्त नही था ऐसी स्थिति मे पारित आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण एंव मनमाना होने से काबिल निरस्तनीय है। खातेदार कान्हीबाई ने रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष मे कोई वसीयतनामा निष्पादित नही किया था तथाकथित वसीयतनामा कूटरचित एवं बनावटी है जिससे रेस्पो0 नं0 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नही होते है इस बिन्दू पर गोर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट कान्हीबाई के उत्तराधिकारी है उक्त भूमि पर उनके हिस्से अनुसार बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज है तथा भूमि मे अपीलांट का हित निहित है। हुक्म जेरअपील से अपीलांट के हितो पर विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलांट एग्रीव्ड पर्सन होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है इजाजत फरमाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। हुक्म जेरअपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया था जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.4.17 को होने पर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार किशनगंज ने रतनलाल द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 16.6.2015 को निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय मे खातेदार कान्ही बेवा गजानन्द के हिस्से की भूमि ग्राम सुहावन व शोभागपुरा जो पैतृक सम्पत्ति है जिसे रतनलाल पुत्र गजानन्द हिस्सा 1/2 मृतक पुत्र मदनलाल के विधिक वारिसान नंदा पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/6, गोपालीबाई पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/6 व मृतक पुत्री सीताबाई के वारिसान पुत्र बहादूर, माणक, सियाराम उर्फ भूरा पुत्रान रामदयाल, लाडबाई, नवरंगीबाई, राजेश बाई पुत्री रामदयाल हिस्सा 1/6 खाते दर्ज करने का आदेश दिया गया जो विधि सम्मत है। तहसीलदार किशनगंज द्वारा पारित उक्त निर्णय की अपील रतनलाल द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद के यहा की गई। रतनलाल द्वारा प्रस्तुत अपील मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया केवल नर्बदा बाई पत्नी स्व0 मदनलाल को ही पक्षकार बनाया गया, जबकि अपीलांट उक्त अपील मे आवश्यक एवं उचित पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बिना उक्त अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार के समक्ष उभयपक्षों द्वारा कान्हीबाई के फोती नामान्तरकरण की कार्यवाही को कन्टेस्ट किया गया था विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर धारा 135(2) एलआरएक्ट के

अन्तर्गत आदेश पारित किया गया ऐसी स्थिति मे विधिक रूप से धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित आदेश की प्रथम अपील का श्रवणाधिकार अति0 जिला कलक्टर शाहबाद को नही होकर माननीय न्यायालय को धारा 75(1) (एफ) के अन्तर्गत प्रदत्त है अतः उक्त विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे अति0 जिला कलक्टर शाहबाद द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 26.7.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1993 पेज नं. 28, आरआरडी 1993 पेज नं. 24 व पेज नं. 340 पेश की न्यायिक नजीर पेश करते हुये कथन किया कि Contested नामान्तरकरण की प्रथम अपील सुनने का अधिकार अति0 जिला कलक्टर को नही होने से पारित आदेश दूषित, अवैध, त्रुटिपूर्ण एंव मनमाना होने से काबिल निरस्तनीय है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 श्री ओमप्रकाश प्रजापति द्वारा बहस में बताया गया कि अधिनस्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है वसीयत के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने से अपील की गई थी अभिभाषक रेस्पो0 ने यह भी अवगत कराया कि पत्नी को पति से गिली सम्पति पैतृक नही है उसे उस सम्पति पर पूर्ण अधिकार स्वामित्व माना जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद द्वारा अपील मे सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद ने रतनलाल द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 26.7.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मान्य प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड वसीयतनामे को ध्यान मे रखते हुये पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार किशनगंज को रिमांड/प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि अपीलांट जो कि मृतक कान्हीबाई के मृतक पुत्र मदनलाल की मृतक पुत्री सीताबाई के वारिसान पुत्र पुत्रियां है जिनके पक्ष मे भी कान्हीबाई के खाते की भूमि दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार किशनंगज द्वारा दिनांक 16.6.2015 को पारित किया गया था उक्त आदेश के विरूद्ध रतनलाल द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद मे पेश की गई प्रथम अपील मे भी अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया जबकि अपीलांट तहसीलदार किशनगंज के आदेश दिनांक 16.6.2015 की पालना मे अपीलांट का नाम भी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो गया था जिससे अपीलांट अपील मे हितबद्ध आवश्यक एवं उचित पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बिना उक्त अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि तहसीलदार के समक्ष उभयपक्षों द्वारा कान्हीबाई के फोती नामान्तरकरण की कार्यवाही को कन्टेस्ट किया गया था तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को सुनकर धारा 135 (2) एलआरएक्ट के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था कानूनन जिसकी अपील धारा 75 (1) (एफ) के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार योग्य थी। अति0 जिला कलक्टर शाहबाद को तहसीलदार किशनगंज द्वारा धारा 135 (2) एलआरएक्ट के अन्तर्गत पारित आदेश का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैरअपील आदेश 26.07.2016 अपास्त किया जाकर परीक्षण न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा 52/14 रतनलाल बनाम नर्बदाबाई मे पारित आदेश दिनांक 16.6.2015 बहाल रखा जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 7.11..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा